

प्रेस प्रकाशनी

संसद का बजट सत्र, 2012 (15वीं लोक सभा का 10वां सत्र तथा राज्य सभा का 225वां सत्र) आज 12 मार्च, 2012 से प्रारंभ हुआ है तथा सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए, यह सत्र मंगलवार, 22 मई, 2012 को समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान, दोनों सदन शुक्रवार, 30 मार्च, 2012 को मध्यावकाश के लिए स्थगित होंगे और मंगलवार, 24 अप्रैल, 2012 को पुनः एकत्र होंगे ताकि विभागीय संसदीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों की जांच कर सकें तथा सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। इस सत्र में कुल 35 बैठकें होंगी - 15 बैठकें मध्यावकाश से पूर्व सत्र के पहले भाग के दौरान तथा 20 बैठकें सत्र के दूसरे भाग के दौरान।

सत्र के दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वर्ष 2012-13 के लिए रेल तथा सामान्य बजट से संबंधित वित्तीय कार्य निपटाया जाएगा। तथापि, सत्र के दौरान अनिवार्य विधायी और गैर-विधायी कार्यों के निष्पादन के लिए भी पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाएगा।

आज, पूर्वाह्न 11.00 बजे राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित किया। वर्ष 2012-13 के लिए रेल बजट बुधवार, 14 मार्च, 2012 को लोक सभा में प्रश्न काल के तत्काल पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में गुरुवार, 15 मार्च, 2012 को प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 2012-13 के लिए सामान्य बजट शुक्रवार, 16 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रस्तुत किया जाएगा।

बजट सत्र, 2012 हेतु सरकारी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 05.03.2012 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्रियों ने बैठक की सह-अध्यक्षता की थी। बैठक के दौरान, बजट सत्र, 2012 के लिए 82 मर्दों {70 विधेयक, 10 वित्तीय मर्दें (प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त) और 02 गैर-विधायी मर्दें} का चयन किया गया।

बजट सत्र, 2012 के लिए चुने गए सरकारी कार्य की सूची निम्न प्रकार है:-

I - पुरःस्थापन के लिए विधेयक

1. कृषि जैव-सुरक्षा विधेयक, 2012
2. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2012
3. रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2012
4. भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2012
5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012
6. भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2012
7. विधिक माप-पद्धति (संशोधन) विधेयक, 2012
8. प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक, 2012
9. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012
10. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012
11. जलदस्युता विधेयक, 2012

12. भारतीय सार्वजनिक ऋण प्रबंधन अभिकरण विधेयक, 2012
13. सार्वजनिक उपापन विधेयक, 2012
14. भारतीय स्टॉप (संशोधन) विधेयक, 2012
15. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012
16. लघु वित्तीय संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012
17. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (संशोधन) विधेयक, 2012
18. राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012
19. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012
20. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल विधेयक, 2012
21. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन और अन्य संबंधित विधियां) (संशोधन) विधेयक, 2012
22. इंजीनियर विधेयक, 2012
23. आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012
24. तमिलनाडु विधान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2012
25. उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक, 2012
26. महिला अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012
27. राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2012
28. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012
29. अक्षम व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2012
30. हस्त सफाई कर्मचारी के रूप में रोजगार का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012

II. पुरःस्थापन, विचार और पारित करने के लिए विधेयक

वित्त विधेयक, 2012

III. विचार और पारित किए जाने वाले विधेयक

1. लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 लोक सभा द्वारा पारित रूप में
2. सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011 लोक सभा द्वारा पारित रूप में
3. न्यायिक मानक और दायित्व विधेयक, 2010
4. संविधान (114वां संशोधन) विधेयक, 2010
5. बीज विधेयक, 2004
6. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008
7. परमाणु सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011
8. रासायनिक हथियार कन्वेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010
9. सेवाओं का इलेक्ट्रानिक वितरण विधेयक, 2011
10. अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010
11. राष्ट्रीय धरोहर-स्थल आयोग विधेयक, 2009
12. बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011
13. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

14. बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008
15. प्रतिभूति हित प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011
16. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010
17. सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011
18. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011
19. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011
20. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011
21. केंद्रीय शैक्षिक संस्थाएं (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010
22. तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनूजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010
23. शैक्षिक अधिकरण विधेयक, 2010 – लोक सभा द्वारा पारित रूप में
24. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 – लोक सभा द्वारा पारित रूप में
25. वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010
26. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 लोक सभा द्वारा पारित रूप में
27. प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010
28. संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2010 – राज्य सभा द्वारा पारित रूप में
29. महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2011
30. विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010
31. सामान और सेवाओं के समयबद्ध वितरण हेतु नागरिकों का अधिकार और उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक, 2011
32. विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्त निवारण विधेयक, 2011
33. रेलवे संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2011 – राज्य सभा द्वारा पारित रूप में
34. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2007
35. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी विधेयक, 2011
36. बांध सुरक्षा विधेयक, 2010
37. बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण विधेयक, 2011
38. कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2010
39. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010

IV. वित्तीय कार्य

1. वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा
2. वर्ष 2012-13 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
3. वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की तीसरी अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
4. वर्ष 2009-10 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
5. वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
6. वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा
7. वर्ष 2012-13 के लिए लेखानुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
8. वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान
9. वर्ष 2009-10 के लिए अतिरिक्त अनुदानों (रेल) पर चर्चा और मतदान
10. वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान

V. गैर-विधायी कार्य

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
2. '2011-12 के लिए लाभांश की दर और अन्य अनुषंगी मामलों' के संबंध में रेल अभिसमय समिति (2009) की दूसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों संबंधी संकल्प पर विचार और उसे स्वीकार करना।